न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान) केम्प कोर्ट भीटवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 60 / 2021 GCMS No 2021 / 142
दायरा तिथि : 17.02.2021
फैसला तिथि : 12.11.2021

प्रार्थी::–
कानाराम पुत्र हीराजी जाति सीरवी
निवासी दांतीवाडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 12.11.2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली में धारित की जा रही सह खातेदारी भूमि खसरा नंबर 166, 167, 495 कुल खसरा–03 कुल रकबा 8.90 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम कोनाराम पुत्र हीरा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम कानाराम पुत्र हीराजी शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 की प्रति, सरपंच ग्राम पंचायत भीटवाडा का प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में **त्रुटिपुर्ण नाम कोनाराम पुत्र हीरा** दर्ज होना तथा प्रार्थी द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेजो में प्रार्थी का **सही व वास्तविक कानाराम पुत्र हीराजी दर्ज** होना स्वीकार किया, तथा प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम कोनाराम पुत्र हीरा** के स्थान पर **सही व वास्तविक नाम कानाराम पुत्र हीराजी** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम दांतीवाडा तहसील बाली में प्रार्थी द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 166, 167, 495 कुल खसरा–03 कुल रकबा 8.90 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम कोनाराम पुत्र हीरा** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम कानाराम पुत्र हीराजी शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

आदेश आज दिनांक **12.11.2021** को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली जिला - पाली (राज.) *

Scanned with CamScanner